उत्पाद-शुल्क

धारा 11क का संशोधन ।

63. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क की उपधारा (2ख) में स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 1944 का 1

"**स्पष्टीकरण 3**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन कोई शास्ति इस उपधारा के अधीन शुल्क और उस पर ब्याज के संदाय की बाबत अधिरोपित नहीं की जाएगी ।"।

धारा 32ङ का संशोधन ।

64. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ङ की उपधारा (1) में, "कम उद्ग्रहण स्वीकार किया है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसा माल नहीं है, जिसकी बाबत निर्धारिती द्वारा अपने दैनिक स्टॉक रजिस्टर में कोई उचित अभिलेख नहीं रखे गए हैं," शब्दों के स्थान पर, "या अन्यथा कम उद्ग्रहण स्वीकार किया है" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 32च का संशोधन ।

65. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32च की उपधारा (6) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि को समझौता आयोग द्वारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, तीन मास से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा ।"।

धारा 32ण का संशोधन ।

66. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ण में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "1 जून, 2007 से पूर्व" अंकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (i) में, "धारा 32च की उपधारा (7)" शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के पश्चात्, "जैसी वह वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 122 के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान थी और धारा 32च की उपधारा (5)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ; 2007 का 22

(iii) खंड (ii) में, "उपधारा (7)" शब्द, अंक और कोष्ठकों के पश्चात्, "जैसी वह वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 122 के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान थी या धारा 32च की उपधारा (5)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ; 2007 का 22

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

धारा 37 का संशोधन ।

67. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2) के खंड (xiii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xiiiक) शुल्क के अपवंचन या केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के दुरुपयोग के संबंध में सुविधाओं को वापस लिए जाने या विनिर्माता या निर्यातकर्ता पर निर्बंधनों के अधिरोपण (जिसके अंतर्गत केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के उपयोजन पर निर्बन्धन भी हैं) या व्यौहारी के रजिस्ट्रीकरण के निलंबन के लिए उपबंध करना ;"।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का नए नियम 57गगग के अंतःस्थापन द्वारा संशोधन ।

68. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944, चौथी अनुसूची के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट नियम के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही और तक भूतलक्षी रूप से संशोधित हो जाएगा और संशोधन किया गया समझा जाएगा ।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के उपबंधों के अनुसार राशि का संदाय करने का विकल्प देता है, वहां वह उसके अधीन विनिर्दिष्ट रकम का ब्याज सहित संदाय करेगा और दस्तावेजी साक्ष्य और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल से अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त या उसके संबंध में अंतःनिवेश समझे जाने वाले अंतःनिवेश प्रत्यय की ऐसी रकम को, जो उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है या शुल्क की शून्य दर पर प्रभार्य है, प्रमाणित करने वाले एक प्रमाणपत्र के साथ उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को आवेदन करेगा ।

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर संदत्त रकम की शुद्धता को सत्यापित करेगा और यदि इस प्रकार संदत्त रकम संदेय रकम से कम पाई जाती है तो वह आवेदक से इस संबंध में आयुक्त से संसूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर ब्याज सहित अंतर की रकम का संदाय करने की मांग करेगा ।

(4) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित उपबंधों के संबंध में, 1 सितंबर, 1996 से ही प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में था ।

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधिक्रमण के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति होगी और यह माना जाएगा कि उसे इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति है मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्त्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो, यदि यह धारा प्रवृत्त नहीं हुई होती तो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57कघ का संशोधन ।

69. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 298(अ), तारीख 31, मार्च, 2000 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित और तत्पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क [दूसरा संशोधन (संशोधन)] नियम, 2000 के नियम 5 द्वारा नियम 57कघ के रूप में यथासंशोधित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 203(अ), तारीख 1 मार्च, 2000 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 के नियम 2 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया नियम 57घ, पांचवीं अनुसूची के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट नियमों के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही संशोधित हो जाएगा और भूतलक्षी रूप से संशोधित किया गया समझा जाएगा ।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार राशि का संदाय करने का विकल्प देता है, वहां वह उसके अधीन विनिर्दिष्ट रकम का ब्याज सहित संदाय करेगा और दस्तावेजी साक्ष्य और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल से अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त या उसके संबंध में अंतःनिवेश समझे जाने वाले अंतःनिवेश प्रत्यय की ऐसी रकम को, जो उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है या शुल्क की शून्य दर पर प्रभार्य है, प्रमाणित करने वाले एक प्रमाणपत्र के साथ उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को आवेदन करेगा ।

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर संदत्त रकम की शुद्धता को सत्यापित करेगा और यदि इस प्रकार संदत्त रकम संदेय रकम से कम पाई जाती है तो वह आवेदक से इस संबंध में आयुक्त से संसूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर ब्याज सहित अंतर की रकम का संदाय करने की मांग करेगा ।

(4) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित उपबंधों के संबंध में, 1 अप्रैल, 2000 से ही प्रारंभ होने वाली और 30 जून, 2001 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में था ।

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधिक्रमण के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति होगी और यह माना जाएगा कि उसे इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति है मानो केन्द्रीय सरकार को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्त्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो, यदि यह धारा प्रवृत्त नहीं हुई होती तो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता।

केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के नियम 6 का संशोधन।

70. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 445(अ), तारीख 21 जून, 2001 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 का नियम 6, छठी अनुसूची के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट नियमों के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही संशोधित हो जाएगा और भूतलक्षी रूप से संशोधित किया गया समझा जाएगा ।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार राशि का संदाय करने का विकल्प देता है वहां वह उसके अधीन विनिर्दिष्ट रकम का संदाय करेगा और सभी दस्तावेजी साक्ष्य और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल से अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त या उसके संबंध में अंतःनिवेश समझे जाने वाले अंतःनिवेश प्रत्यय की ऐसी रकम को, जो उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त हैं या शुल्क की शून्य दर पर प्रभार्य है, प्रमाणित करने वाले एक प्रमाणपत्र के साथ उस दिन से, जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को आवेदन करेगा ।

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर संदत्त रकम की शुद्धता को सत्यापित करेगा और यदि इस प्रकार संदत्त रकम संदेय रकम से कम पाई जाती है तो वह आवेदक से इस संबंध में आयुक्त से संसूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर ब्याज सहित अंतर की रकम का संदाय करने की मांग करेगा ।

(4) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित उपबंधों के संबंध में, 1 जुलाई, 2001 से ही प्रारंभ होने वाली और 28 फरवरी, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में था ।

(5) केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के अधिक्रमण के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति होगी और यह माना जाएगा कि उसे इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति है मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्त्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो, यदि यह धारा प्रवृत्त नहीं हुई होती तो, इस प्रकार दंडनीय नहीं होता।

केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 6 का संशोधन।

71. (1) केन्द्रीय-उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 144(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 का नियम 6, सातवीं अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट नियमों के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही, संशोधित हो जाएगा और भूतलक्षी रूप से संशोधित किया गया समझा जाएगा ।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार राशि का संदाय करने का विकल्प देता है वहां वह उसके अधीन विनिर्दिष्ट रकम का ब्याज सहित संदाय करेगा और सभी दस्तावेजी साक्ष्य और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल से अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त या उसके संबंध में अंतःनिवेश समझे जाने वाले अंतःनिवेश प्रत्यय की ऐसी रकम को, जो उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त हैं या शुल्क की शून्य दर पर प्रभार्य है, प्रमाणित करने वाले एक प्रमाणपत्र के साथ उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को आवेदन करेगा ।

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर संदत्त रकम की शुद्धता को सत्यापित करेगा और यदि इस प्रकार संदत्त रकम संदेय रकम से कम पाई जाती है तो वह आवेदक से इस संबंध में आयुक्त से संसूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर ब्याज सहित अंतर की रकम का संदाय करने की मांग करेगा ।

(4) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित उपबंधों के संबंध में, 1 मार्च, 2002 से ही प्रारंभ होने वाली और 9 सितम्बर, 2004 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में था ।

(5) केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के अधिक्रमण के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति होगी और यह माना जाएगा कि उसे इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति है मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्त्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो, यदि यह धारा प्रवृत्त नहीं हुई होती तो, इस प्रकार दंडनीय नहीं होता।

72. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 600(अ), तारीख 10 सितंबर, 2004 द्वारा राजपत्र में यथा प्रकाशित उसका नियम 6, आठवीं अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट नियम के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से और तक संशोधित हो जाएगा और भूतलक्षी रूप से संशोधित किया गया समझा जाएगा । केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 6 का संशोधन।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा संशोधित उपबंधों के अनुसार राशि का संदाय करने का विकल्प देता है वहां वह उसके अधीन विनिर्दिष्ट रकम का संदाय करेगा और दस्तावेजी साक्ष्य और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल से अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त या उसके संबंध में अंतःनिवेश समझे जाने वाले अंतःनिवेश प्रत्यय की ऐसी रकम को, जो उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त हैं या शुल्क की शून्य दर पर प्रभार्य है, प्रमाणित करने वाले एक प्रमाणपत्र के साथ उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को आवेदन करेगा ।

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर संदत्त रकम की शुद्धता को सत्यापित करेगा और यदि इस प्रकार संदत्त रकम संदेय रकम से कम पाई जाती है तो वह आवेदक से इस संबंध में आयुक्त से संसूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर ब्याज सहित अंतर की रकम का संदाय करने की मांग करेगा ।

(4) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित उपबंधों के संबंध में, 10 सितंबर, 2004 से ही प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में था ।

(5) केन्द्रीय सरकार को उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति होगी और यह माना जाएगा कि उसे इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति है मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्त्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो, यदि यह धारा प्रवृत्त नहीं हुई होती तो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता।

73. केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 156(अ), तारीख 14 मार्च, 2006 में, 14 मार्च, 2006 से,— केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 5 के अधीन जारी अधिसूचना का संशोधन।

(अ) आरंभिक भाग में,—

(i) खंड (क) में, "में प्रयुक्त" शब्दों के स्थान पर, "में या उसके संबंध में प्रयुक्त" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "में प्रयुक्त" शब्दों के स्थान पर, "के लिए प्रयुक्त" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(आ) परिशिष्ट की शर्त 5 में, "अर्थात् अधिकतम प्रतिदाय" शब्दों से आरंभ होने वाले और "अर्थात् 50 रुपए" शब्दों और अंकों पर समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा और लोप किया गया समझा जाएगा ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

74. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची का नौवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा । 1986 के अधिनियम 5 की पहली अनुसूची का संशोधन।